

मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/ 37 /पर्या./2019

भोपाल, दिनांक 28/3/19

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
मध्य प्रदेश।


विषय:- Enviromental Clearance & Forest Clearance जारी करने के संबंध में।

---0---

पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 19 मार्च, 2019 तथा 26 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जारी पत्र दिनांक 27/03/2019 की छायाप्रति भी संलग्न है।

इन पत्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति (Enviromental Clearance) के प्रकरणों का निराकरण, जिसमें लोक सुनवाई (public hearing) भी शामिल हैं, आदर्श आचार संहिता के दौरान भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संचालित की जा सकती है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।



(अनुपम राजन)

o/c प्रमुख सचिव

भोपाल, दिनांक 28/3/19

पृ० क्रमांक/ 38 /पर्या./2019

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।



(अनुपम राजन)

o/c प्रमुख सचिव

F. No. 19-206/2018-IA.III
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Impact Assessment Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110 003

Dated: 19th March, 2019


OFFICE MEMORANDUM

SUB: Processing of Environmental Clearance and Forest Clearance cases during the period of Model Code of Conduct imposed by the Election Commission regarding

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi, on 16th March 2019 sought clarification from the Election Commission of India as to whether Environmental Clearance and Forest Clearance can be granted during the period of Model Code of Conduct imposed by the Election Commission.

The Election Commission has clarified vide letter no.437/6/CG/ECI/LET/FUNCT/MCC/2019 dated 16th March 2019 that the Commission has no objection from MCC angle to the proposal made therein.

This issues with the approval of the Competent Authority


(Sharath Kumar Pallela)
Director, IA Policy Division

To

1. PS to Hon'ble MEFCC
2. PS to Hon'ble MoS
3. PPS to Secretary, EF&CC
4. PPS DG & SS, EF&CC
5. PPS to Additional Secretary (AKJ)
6. PPS to JS (RSP), JS (RKS), JS (GM), JS (AKN)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

Telephone- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282 Fax- 0755-4938889

E-Mail : chlefelectoralofficermp@gmail.com

website: www.ceomadhya Pradesh.nic.in

Post Box No.1164

फा.क्र. 01/लो.स.चु./ 2019/4 (क)/ 5884

भोपाल, दिनांक: 27/03/2019

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश

विषय:- लोक सुनवाई के संबंध में तिथि निर्धारित करने बावत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 447/रीडर/एडीएम/2019 दिनांक 18.03.2019

संदर्भित पत्र के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्र
19-206/2018-IA.III संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(अरुण कुमार तोमर)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिक
म0प्र0 भोपाल